आपराधिक प्रकरण कमांक 3757/2022
छ0ग0 शासन विरूद्ध महेन्द्र राजपूत

न्यायालय :–श्रीमति रेशमा बैरागी पटेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मुंगेली, जिला–मुंगेली (छ0ग0)

आप0प्र0क्रमांक–3757/2022
अपराध क्रमांक–316/2022
संस्थित दिनांक– 15-12-2022
C.N.R. NO- CGBI05004138-2022

अनुकमणिका (INDEX)

कमांक	विवरण	पृष्ठ संख्या
01	निर्णय का शीर्षक	01
02	अधिवक्ताओं की उपस्थिति	02
03	आरोप	03
04	स्वीकृत तथ्य	..
05	अभियोजन कहानी	03 से 04
06	अभियुक्त की प्रतिरक्षा	...
07	विचारणीय बिन्दू	05
08	कारण और निष्कर्ष	05 से 11
09	दण्डादेश (Sentence)	...
10	परिरूद्ध और सेटअप की अवधि	....
11	संपत्ति का निपटान	10
12	मुआवजा/प्रतिकर का आदेश	...
13	धारा 428 दं0प्र0सं0 के तहत प्रमाण पत्र	12
14	दण्डादेश (Sentence) पर वचनबद्धता का वारंट (कारावास या जुर्माना)	...
15	निर्णय की प्रति	..

आपराधिक प्रकरण कमांक 3757/2022
छ0ग0 शासन विरूद्ध महेन्द्र राजपूत

//प्रारूप डी//

न्यायालय :–श्रीमति रेशमा बैरागी पटेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मुंगेली, जिला–मुंगेली (छ0ग0)

निर्णय दिनांक– 19.09.2024

अभियोजन	छ0ग0 राज्य द्वारा, थाना–पथरिया, जिला मुंगेली छ0ग0
राज्य की ओर से	श्री मनीष केसर ए0डी0पी0ओ0।
अभियुक्त	महेन्द्र राजपूत पिता मनहरण राजपूत उम्र 23 वर्ष साकिन छिन्दभोग थाना पथरिया जिला मुंगेली छ0ग0
अभियुक्त की ओर से	श्री जयकरण सिंह अधिवक्ता।

//प्रारूप ई//

अपराध की तारीख	01.12.2022
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तारीख	01.12.2022
अभियोग पत्र प्रस्तुत करने की तारीख	15.12.2022
आरोप तय करने की तारीख	23.02.2023
साक्ष्य प्रारंभ होने की तारीख	09.05.2023
निर्णय सुरक्षित रखने की तारीख	13.09.2024
निर्णय की तारीख	19.09.2024
दण्डादेश की तिथि, यदि कोई हो	......

//अभियुक्त का विवरण//

क0	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी तिथि	जमानत पर रिहा किये जाने की तिथि	आरोपित अपराध	दोषमुक्ति या दोषसिद्धि	दण्डादेश	धारा 428 दं0प्र0सं0 के प्रयोजन के लिये विचारण के दौरान बितायी गई निरोध की अवधि	मूल सजा में समायोजित करने की अवधि
01	महेन्द्र राजपूत पिता मनहरण राजपूत उम्र 23 वर्ष साकिन छिन्दभोग थाना पथरिया जिला मुंगेली छ0ग0	01.12.2022	निरंक	आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(क)	दोषमुक्त	निरंक	निरंक	निरंक

आपराधिक प्रकरण कमांक 3757/2022
छ0ग0 शासन विरूद्ध महेन्द्र राजपूत

–: <u>निर्णय</u> :–

(दिनांक– 19.09.2024 को घोषित)

01– अभियुक्त के विरूद्ध छ.ग. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा–34(1)(क) के तहत अपराध विवरण विरचित है कि उसने दिनांक 01.12.2022 को समय लगभग 12.05 बजे स्थान ग्राम छिन्दभोग आरोपी का बाडी थाना पथरिया, जिला मुंगेली छ.ग. क्षेत्रांतर्गत में अपने आधिपत्य में बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के एक लाल कलर के थैला में 15 पाव देशी प्लेन शराब प्रत्येक में 180 एम.एल. को अवैध रूप से अपने आधिपत्य में रखा।

02– प्रकरण में उल्लेखनीय स्वीकृत तथ्य कुछ नहीं हैं।

03– अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रधान आरक्षक यशवंत डाहिरे दिनांक 01.12.2022 को हमराह सायबर सेल मुंगेली के साथ माईनर एक्ट के कार्यवाही में देहात रवाना हुआ था। उसी दौरान जरिये मुखबीर सूचना मिला, कि ग्राम छिन्दभोग निवासी महेन्द्र राजपूत अपने बाडी में रखकर अवैध देशी प्लेन शराब बिक्री कर रहा है। उक्त सूचना पर हमराह, व गवाहो संतराम साहू, कन्हैया गुजरतिया को धारा 160 जा0फौ0 का नोटिस तामिल कराकर साथ लेकर हमराह स्टाप घेराबंदी कर रेड कार्यवाही किये, जहां महेन्द्र राजपूत अपने घर के बाडी में एक काला कलर के थैला के अंदर 15 पाव देशी प्लेन शराब कीमती

1200 रूपये, बिक्री रकम 1010 रूपये जुमला कीमती 2210 रूपये बिक्री करते मिला, जिसे समक्ष गवाहों के मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त कर विधिवत गिरफतार किया गया। आरोपी के विरूद्ध अपराध धारा सबुत पाये जाने पर उसके विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। शराब परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त किया। विवेचना पूर्ण होने से आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र क0 306/2022 दिनांक 12.12.2022 तैयार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

04— अभियुक्त के विरूद्ध छ.ग. आबकारी अधिनियम 1915 की ारा–34(1)(क) के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर उसकी विशिष्टियां पढ़कर सुनाये एवं समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध कारित करना अस्वीकार किया है तथा स्वेच्छापूर्वक प्रतिरक्षा चाहा।

05— अभियुक्त को दं.प्र.सं की धारा 313 के तहत परीक्षण कराये जाने पर उसने स्वयं को निर्दोष होने तथा प्रकरण मे झूठा फंसाये जाने का कथन किया है तथा प्रतिरक्षा मे प्रवेश कराये जाने पर अपने बचाव में किसी भी बचाव साक्षी का परीक्षण नहीं कराया है।

06— अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में संतराम साहू (अ.सा.–1), कन्हैया गुजरतिया (अ.सा.–2), प्रधान आरक्षक यशवंत डाहिरे (अ.सा.

–3) का न्यायालयीन परीक्षण कराया है। अभियुक्त ने अपने बचाव में किसी भी बचाव साक्षी का कथन नहीं कराया है।

07– प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न **प्रश्न विचारणीय** है :–

1. ''क्या अभियुक्त ने 01.12.2022 को समय लगभग 12.05 बजे स्थान ग्राम छिन्दभोग आरोपी का बाडी थाना पथरिया, जिला मुंगेली छ.ग. क्षेत्रांतर्गत में अपने आधिपत्य में बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के एक लाल कलर के थैला में 15 पाव देशी प्लेन शराब प्रत्येक में 180 एम.एल. को अवैध रूप से अपने आधिपत्य में रखा?''

2. **''**दोषसिद्धि एवं दण्डादेश?**''**

–:विवेचना एवं सकारण निष्कर्ष:–

(उपरोक्त विचारणीय प्रश्न 1 एवं 2 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है ताकि तथ्यों के दोहराव से बचा जा सके।)

08– अभियोजन साक्षी संतराम साहू (अ.सा.–1), कन्हैया गुजरतिया (अ.सा.–2) ने न्यायालयीन परीक्षण के दौरान कथन किया है कि वह वे अभियुक्त को नही जानते है। उन्हें घटना के संबंध में कोई जानकारी नही है। पुलिस वालों ने उनका बयान नहीं लिया है। उनसे कुछ दस्तावेजों पर अंगूठा निशानी लगवाया था, हस्ताक्षर

करवाया था। पुलिस वाले उनके समक्ष कोई कार्यवाही नही किये थे। लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इन साक्षियों ने इस तथ्य को गलत बताया है कि ग्राम छिन्दभोग आरोपी का बाडी से एक लाल कलर के थैला में 15 पाव देशी प्लेन शराब को पेश करने पर पुलिस ने उसके समक्ष जप्ती बनाया था। साक्षी ने पुलिस को बयान देने से इंकार किया है।

09— अभियोजन साक्षी यशवंत डाहिरे अ0सा0 03 ने न्यायालयीन परीक्षण के दौरान कथन किया है कि दिनांक 01.12.2022 को हमराह आरक्षक 289, 237, 166 के साथ टाउन पेट्रोलिंग पर गया था। मुखबिर सूचना प्राप्त होने पर ग्राम छिंदभोग निवासी महेन्द्र अवैध शराब बिक्री कर रहा है कि सूचना पर हमराह स्टाफ एवं गवाह कन्हैया एवं संतराम के साथ मुखबिर के बताये हुए जगह पर पहुंचकर रेड कार्यवाही किये। उक्त के संबंध गवाहों के समक्ष मुखबिर पंचनामा तैयार किया, जो प्र.पी.–01 के ब से ब भाग पर उसके हस्ताक्षर है। गवाहों के समक्ष घटनास्थल का नजरी नक्शा तैयार किया, जो प्र.पी.–07 के अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त के संबंध में आरोपी को धारा 91 द.प्र.सं. की नोटिस दिया था, जो प्र0पी0 06 है, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर है। दस्तावेज पेश न करने पर अभियुक्त को दो गवाहों के समक्ष 15 पाव देशी मदिरा प्लेन शराब को जप्त किया था, जो

प्र0पी–02 के ब से ब भाग पर उसके हस्ताक्षर है। दो गवाहों के समक्ष आरोपी को गिरफतार किया था, गिरफतारी पत्रक प्र0पी0 03 के ब से ब भाग पर उसके हस्ताक्षर है। गवाह संतराम एवं कन्हैया का कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किया था। कार्यवाही पश्चात थाना पथरिया वापस आकर आरोपी के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया था, जो प्र0पी0 08 के अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 01.12.2022 को जप्त द्रव्य को परीक्षण हेतु आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त पथरिया के समक्ष मय प्रतिवेदन प्रेषित किया, प्रतिवेदन प्र0पी0 09 के अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर है। अपने साथ रोजनामचा सान्हा लेकर उपस्थित हुआ है, रवानगी सान्हा क्रमांक–10 की मूल प्र.पी.–10 है तथा छायाप्रति प्र.पी.–10 सी है। वापसी सान्हा क्रमांक–15 की मूल प्र.पी.–11 है तथा छायाप्रति प्र.पी.–11 सी है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता के इस सूझाव को स्वीकार किया है कि उसके द्वारा धारा 91 जा.फौ. के नोटिस किस समय दिया गया है, उसका उल्लेख नहीं है।

10– उपरोक्त साक्ष्य के परिशीलन से दर्शित होता है कि स्वतंत्र साक्षी संतराम साहू (अ.सा.–1), कन्हैया गुजरतिया (अ.सा.–2) के द्वारा अभियुक्त से उनके समक्ष, शराब की जप्ती होने के तथ्य का समर्थन नहीं किया गया है तथा घटना की कोई जानकारी नहीं

होना बताया है। लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा उपरोक्त साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी इन साक्षियों ने अभियोजन कथा का समर्थन नहीं करते हुये अपने समक्ष आरोपी से किसी भी वस्तु की जप्ती किये जाने से इंकार किया है। आबकारी अधिनियम की धारा 34 (1)(क) के अंतर्गत अपराध प्रमाणित होने के लिये यह आवश्यक है कि अभियुक्त के द्वारा शराब को अपने कब्जे में बिना किसी वैध दस्तावेज के रखा गया हो, परंतु जप्ती साक्षी संतराम साहू (अ.सा.–1), कन्हैया गुजरतिया (अ.सा.–2) के पक्ष विरोधी हो जाने के कारण यह तथ्य प्रमाणित नहीं हो सका है कि अभियुक्त के द्वारा शराब को अपने कब्जे में रखा गया था।

11— प्रकरण में विवेचनाकर्ता के द्वारा अभियुक्त से शराब की जप्ती की गई व थाना वापस आकर घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई, इस प्रकार इस प्रकरण में अभियोगी भी प्रधान आरक्षक यशवंत डाहिरे अ0सा0 03 है तथा रिपोर्ट भी उन्हीं के द्वारा दर्ज की गई है, जो कि नैसर्गिक न्याय के नियमों के विपरीत है। आबकारी अधिनियम की धारा 57 के अनुसार जहां कलेक्टर की पदश्रेणी से निम्न पदश्रेणी का कोई आबकारी अधिकारी इस अधिनियम के अधीन कोई गिरफ्तारी, अभिग्रहण या तलाशी करता है, वहां वह ऐसी गिरफ्तारी, अभिग्रहण या तलाशी के पश्चात्

24 घंटे के भीतर, ऐसी गिरफतारी, अभिग्रहण या तलाशी की समस्त विशिष्टियों की पूर्ण रिपोर्ट अपने निकटतम वरिष्ठ अधिकारी को करेगा, और जब तक कि धारा 59 के अधीन जमानत प्रतिगृहीत न कर ली जाए, गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को, या अभिगृहीत की गई चीज को विचारण या न्याय–निर्णयन के लिये सुविधानुसार पूर्ण शीघ्रता से किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाएगा या भेजेगा। उक्त प्रावधान के अनुसार प्रधान आरक्षक यशवंत डाहिरे अ0सा0 03 के द्वारा अभियुक्त से शराब की अधिग्रहण के संबंध में और उसकी गिरफतारी के संबंध में रिपोर्ट अपने वरिष्ठ अधिकारी को करना आवश्यक है, जबकि उनके द्वारा ऐसी कोई रिपोर्ट की गई, यह अभिलेख पर दर्शित नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण में प्रधान आरक्षक यशवंत डाहिरे अ0सा0 03 के द्वारा धारा 57 आबकारी अधिनियम का प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण तथा अभियुक्त के कब्जे से शराब की जप्ती प्रमाणित नहीं होने के कारण अभियोजन अपना मामला अभियुक्त के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है।

12– अतः अभियोजन यह प्रमाणित करने में असफल रहा है, कि अभियुक्त ने दिनांक 01.12.2022 को समय लगभग 12.05 बजे

स्थान ग्राम छिन्दभोग आरोपी का बाडी थाना पथरिया, जिला मुंगेली छ.ग. क्षेत्रांतर्गत में अपने आधिपत्य में बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के एक लाल कलर के थैला में 15 पाव देशी प्लेन शराब प्रत्येक में 180 एम.एल. को अवैध रूप से अपने आधिपत्य में रखा।

13— अभियुक्त **महेन्द्र राजपूत** को आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(क) के अपराध के आरोप से संदेह का लाभ देकर **दोषमुक्त** किया जाता है।

14— अभियुक्त के द्वारा पेश जमानत मुचलका दं0प्र0सं0 की धारा—437—क के परिप्रेक्ष्य में आगामी 6 माह तक प्रभावशील रहेगा।

15— प्रकरण मे जप्तशुदा सम्पत्ति **एक लाल रंग के थैला में 15 पाव देशी प्लेन शराब प्रत्येक में 180 एम.एल.** को अपील न होने की दशा मे अपील अवधि पश्चात् मूल्यहीन होने से नष्ट किया जाए। अपील होने की दशा में उक्त संपत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाए।

16— यदि अभियुक्त द्वारा कोई अवधि जांच अन्वेषण विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई हो तो उसका द.प्र.सं. की धारा 428 के

तहत प्रमाण पत्र बनाया जाये। उक्त प्रमाण–पत्र निर्णय का भाग होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित, हस्ताक्षरित, दिनांकित तत्पश्चात घोषित। **मेरे निर्देशन में टंकित**

सही/–
(श्रीमती रेशमा बैरागी पटेल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
मुंगेली (छ0ग0)

सही/–
(श्रीमती रेशमा बैरागी पटेल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
मुंगेली (छ0ग0)

आपराधिक प्रकरण कमांक 3757/2022
छ0ग0 शासन विरूद्ध महेन्द्र राजपूत

न्यायालय श्रीमती रेशमा बैरागी पटेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
जिला–मुंगेली (छ0ग0)

–ःनिरोध अवधि तालिकाः–
धारा–428 द0प्र0सं0

अभियुक्त द्वारा अभिरक्षा में बिताई गई अवधि का प्रमाण पत्र

अभियुक्त का नाम व पता	महेन्द्र राजपूत पिता मनहरण राजपूत उम्र 23 वर्ष साकिन छिन्दभोग थाना पथरिया जिला मुंगेली छ0ग0
उस अपराध के लिए जिसमें दोषसिद्ध किया गया	निरंक
पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने का दिनांक	01.12.2022
न्यायालय में प्रस्तुति दिनांक	15.12.2022
पुलिस अभिरक्षा की अवधि	निरंक
आरोपी द्वारा अभिरक्षा में बितायी गयी अवधि	निरंक

स्थान– मुंगेली।
दिनांक–19.09.2024

सही/–

(श्रीमती रेशमा बैरागी पटेल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
मुंगेली (छ0ग0)